रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2006/श्रावण 2, 1928
No. 113] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2006/SRAVANA 2, 1928

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2006

सं. के. भ. नि./सीपीएफ/सामान्य/01/भर्ती/2005-06.—वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम एतद्द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम,2006 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम 1962 (इसके बाद इन्हें कथित विनियम कहा जायेगा) के विनियम 3 में-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्
'(क) "अधिनियम" का तात्पर्य है वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम,1962 (1962 का 58)'

(ख) खण्ड (ड.)के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्
'(ड.)"सूचीबद्ध कामगार " का तात्पर्य है भारतीय खाद्य निगम के लिए और उनकी ओर से किसी भाण्डागार पर तैनात कामगार ;

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएगें ,अर्थात्
'(छ) " कार्यकारी निदेशक "(वित्त एवं लेखा) से तात्पर्य निगम के वित्त विभाग के अध्यक्ष से है ।'
'(छछ)" कार्यकारी निदेशक "(कार्मिक) से तात्पर्य निगम के कार्मिक विभाग के अध्यक्ष से है । '

(घ) खण्ड (ट) हट जाएगा,

3. कथित विनियमों के विनियम 4 में,-

(क) उप विनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्-

"(i) यह निधि एक न्यासी समिति में निहित तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगी । इस समिति में प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा), कार्यकारी निदेशक(कार्मिक) एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे । इस तरह गठित न्यास को लाभार्थियों की सहमति के बिना रद्द नहीं किया जाएगा।"

परन्तु यदि कार्यकारी निदेशक(वित्त एवं लेखा) का पद रिक्त है तो वित्त विभाग के अध्यक्ष और यदि कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) का पद रिक्त है तो कार्मिक विभाग के अध्यक्ष समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

(ख) उप विनियम (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम सम्मिलित किए जायेंगे अर्थात्-

"(ii)प्रत्येक नामित न्यासी इन विनियमों के अधीन नामित तिथि से तीन वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहेगा (ख) निवर्तमान न्यासी पुनर्नामांकन के योग्य होगा।

(ii क) नामित न्यासी, प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है । प्रबन्ध निदेशक द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत करने की तिथि से वह पद रिक्त माना जाएगा ।

(ii ख) यदि नामित व्यक्ति प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के बिना तीन बैठकों में निरन्तर अनुपस्थित रहता है तो वह न्यासी नहीं रहेगा /रहेगी ।

परन्तु समिति अपने प्रस्ताव से अथवा संबंधित न्यासी की ओर से आवेदन करने पर तथा अनुपस्थिति के पर्याप्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर न्यासी को पुनः पद पर आसीन कर सकती है ।

(ii ग) कोई व्यक्ति न्यासी के रूप में नामित होने अथवा न्यासी रहने के अयोग्य हो जाएगा:-

i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया जाता है,

ii) यदि वह अमुक्त दिवालिया है,

iii) यदि उसे नैतिक पतन का दोषी माना गया है,

iv) यदि वह निगम का कर्मचारी नहीं रहता है ,

(ii घ) यदि उपविनियम (ii ग) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के अयोग्य घोषित होने का प्रश्न उठता है तो ये मामला प्रबन्ध निदेशक को भेजा जायेगा और इस मामले में उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

परन्तु प्रबन्ध निदेशक किसी न्यासी पर विपरीत प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं करेंगे जब तक न्यासी को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जायेगा ।

(ii ङ.) प्रबन्ध निदेशक की दृष्टि में यदि किसी नामित न्यासी ने लक्ष्य के प्रति उतनी रूचि लेना बन्द कर दिया है जितना उसे समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया था तो वे उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् समिति से हटा सकते हैं ।"

4. विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात:-

" 5 समिति की बैठक (i) समिति की प्रत्येक बैठक की प्रबन्ध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) अथवा उन दोनों की अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) अध्यक्षता करेगें " ।

(ii)बैठक की कार्रवाई करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम पूरा करना आवश्यक होगा ।

(iii)प्रत्येक मामले में मत डाले जायेंगे और प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा और किसी मामले में बराबर -बराबर मत होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत डालेंगे ।

एन. के. चौबे, प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन III/IV/103/2006/असा.]

पाद टिप्पणी:—मूल विनियम, दिनांक 30-3-1962 की सं. का.आ. 1014 द्वारा अधिसूचित किए गए थे जो दिनांक 7-4-1962 को भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित हुए थे । तदुपरान्त इन विनियमों को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया:—

(i) दिनांक 17-6-1963 की सं. का.आ. 1694 दिनांक 22-6-1963 को राजपत्र में प्रकाशित

(ii) दिनांक 17-12-1963 की सं. का.आ. 3563 दिनांक 21-12-1963 को राजपत्र में प्रकाशित

(iii) दिनांक 8-12-1964 की सं. का.आ. 4258 दिनांक 12-12-1964 को राजपत्र में प्रकाशित

(iv) दिनांक 18-9-1967 की सं. का.आ. 3382 दिनांक 23-9-1967 को राजपत्र में प्रकाशित

(v) दिनांक 11-10-1968 की सं. का.आ. 3666 दिनांक 19-10-1968 को राजपत्र में प्रकाशित

(vi) दिनांक 20-3-1971 की सं. का.आ. 1801 दिनांक 1-5-1971 को राजपत्र में प्रकाशित

(vii) दिनांक 6-2-1976 की सं. का.आ. 787 दिनांक 21-2-1976 को राजपत्र में प्रकाशित

(viii) दिनांक 5-3-1979 की सं. का.आ. 983 दिनांक 17-3-1979 को राजपत्र में प्रकाशित

(ix) दिनांक 7-1-1982 की सं. का.आ. 197 दिनांक 23-1-1982 को राजपत्र में प्रकाशित

(x) दिनांक 2-5-1985 की सं. का.आ. 2 दिनांक 18-5-1985 को राजपत्र में प्रकाशित (भाग-III खण्ड-4)

(xi) दिनांक 30-8-1991 की सं. का.आ. 35 दिनांक 29-8-1991 को राजपत्र में प्रकाशित

(xii) दिनांक 18-1-1999 की सं. का.आ. 7 दिनांक 25-1-1999 को राजपत्र में प्रकाशित

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2006

No. CWC/CPF/GEN/01/Rectt/2005-06.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, namely :—

1 (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, (hereinafter called as the said regulations), in regulation 3,-

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) "Act" means the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962)';

(b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

'(e) "Enlisted Worker" means a worker employed at any warehouse for and on behalf of the Food Corporation of India';

(c) for clause (g), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(g) "Executive Director" (Finance and Accounts) means the Head of Finance Division of the Corporation';

'(gg) "Executive Director" (Personnel) means the Head of Personnel Division of the Corporation';

(d) clause (k) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) The fund shall vest in and be administered by a Committee of Trustees comprising the Managing Director, Executive Director (Finance and Accounts), Executive Director (Personnel) together with two representatives of the employees to be nominated by the Managing Director, and the Trust so created shall not be revocable save with the consent of all the beneficiaries:

Provided that in case the post of Executive Director (Finance and Accounts) lies vacant, the Head of the Finance Division and in case the post of Executive Director (Personnel) lies vacant, the Head of the Personnel Division shall act as members of the Committee.";

(b) after sub-regulations (ii), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(ii) Every nominated Trustee shall, subject to these regulations, hold office for a period of three years commencing from the date of such nomination. (b) An outgoing Trustee shall be eligible for re-nomination.

(iia) A nominated Trustee may resign his office, by a letter addressed to the Managing Director and the office of such trustee shall become vacant from the date on which the resignation is accepted by the Managing Director.

(iib) If a nominated Trustee fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave of absence from the Managing Director, he /she shall cease to be a Trustee:

Provided that the Committee may, of its own motion or on an application made by such Trustees in this behalf, restore the Trustee to his office, if it is satisfied that there were reasonable grounds for the absence.

(iic) A person shall be disqualified to be nominated as a Trustee or to continue as a Trustee,

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent Court;

(ii) if he is an undischarged insolvent;

(iii) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(iv) if he ceases to be an employee of the Corporation.

(iid) If any question arises as to whether any person is disqualified under sub-regulation (iic), it shall be referred to the Managing Director, whose decision on the question shall be final:

Provided that the Managing Director shall not pass an order adversely affecting a trustee unless he has been given a reasonable opportunity of making any representation against the proposed action.

(iie) The Managing Director may remove from office any nominated Trustee, if in his /her opinion, such Trustee has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Committee after giving him / her a reasonable opportunity of making any representation against the purported action".

2256 GI/08-2

4. For regulation 5 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"5 Meeting of the Committee.- (i) At every meeting of the Committee, the Managing Director or in his absence the Executive Director (Finance and Accounts) or in the absence of both, the Executive Director (Personnel) shall preside over.

(ii) The presence of at least three members shall be necessary to form a quorum for transaction of business.

(iii) At every matter put to vote each member shall have one vote and in case of equality of votes, the Presiding Officer shall have a casting or a second vote."

N. K. CHOUBEY, Managing Director

[ADVT III/IV/103/2006/Exty.]

Foot Note:— The original Regulations were notified vide S.O. No 1014 dated 30.03.1962 published in the Gazette of India Part-II section 3(ii) dated 07.04.1962. These Regulations were subsequently amended as indicated below:-

(i) S.O. No. 1694 dated 17.06.1963 published in the Gazette dated 22.06.1963
(ii) S.O. No. 3563 dated 17.12.1963 published in the Gazette dated 21.12.1963.
(iii) S.O. No. 4258 dated 08.12.1964 published in the Gazette dated 12.12.1964.
(iv) S.O. No. 3382 dated 18.09.1967 published in the Gazette dated 23.09.1967.
(v) S.O. No. 3666 dated 11.10.1968 published in the Gazette dated 19.10.1968.
(vi) S.O. No. 1801 dated 20.03.1971 published in the Gazette dated 01.05.1971.
(vii) S.O. No. 787 dated 06.02.1976 published in the Gazette dated 21.02.1976.
(viii) S.O. No. 983 dated 05.03.1979 published in the Gazette dated 17.03.1979.
(ix) S.O. No. 197 dated 07.01.1982 published in the Gazette dated 23.01.1982.
(x) S.O. No. 2 dated 02.05.1985 published in the Gazette dated 18.05.1985 (Part-III-Section 4)
(xi) S.O. No. 35 dated 30.08.1991 published in the Gazette dated 29.08.1991.
(xii) S.O. No. 7 dated 18.01.1999 published in the Gazette dated 25.01.1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.